महोदय दिनांक:-04 .12 .2020

Shri. Sanjai Gupta,
Executive Director(NR-III),
First Appellate Authority
Power Grid Corporation Of India Limited
12 Rana Pratap Marg,Lucknow(UP)
Pin-226001.

विषय:-RTI संदर्भ संख्या-PGCIL/R/E/20/00476 दिनांक 11.11.2020 के सम्बन्ध मे **"प्रथम अपील"**|

महोदय,

मेरा नाम अशोक कुमार,कर्मचारी संख्या {11233} हैं | मुझे RTI संदर्भ संख्या-PGCIL/R/E/20/00476 दिनांक 11.11.2020 के अनुपालन मे जो जवाब संदर्भ संख्या- PGCIL/R/E/20/00476 दिनांक 04. 12 .2020 मिला है वो निम्न कारणों से तर्कसंगत नहीं | इस जवाब से मैं तनिक भी संतुष्ट नहीं हूँ |

प्रश्न क्रमांक	मांगी गई जानकारी	विभाग द्वारा दी गई जानकारी	असन्तुष्ट होने का कारण
1	मेरे HBA प्रस्ताव संदर्भ संख्या NR-III/AM/HBA/29263 Dt.29.06.2020 के प्रोसेस मे आपने कब-कब कितनी अनियमितता पाई जिसकी सूचना मुझे आपने कब-कब दी और किस माध्यम से दी ? कृपया प्रमाण संलग्न करे ?	आपके एच. बी. ए. प्रस्ताव के सम्बन्ध मे पाई गई अनियमितता की जानकारी आपको मानव संसाधन विभाग द्वारा समय -समय पर मौखिक रूप से प्रत्यक्ष चर्चा करके एवं मेल द्वार दी गई, चुकी आप क्षेत्रीय कार्यालय मे ही कार्यरत है		मान्यवर,मैंने प्रश्न मे पूछा है HBA प्रस्ताव प्रेषित करने के दिनांक 29.06.2020 से स्वीकृति प्राप्त होने के दिनांक 06.08.2020 तक प्रस्ताव मे कितनी अनियमितता पाई और मुझे इसके बारे मे कब-कब सूचित किया गया ? प्रमाण संलग्न करे ?क्षेत्रीय कार्यालय मे कार्यरत होने के बावजूद मैंने प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरांत बार -बार मेल के माध्यम से अपने HBA प्रस्ताव मे मानव संसाधन विभाग के अनुसार क्या क्या अनियमितता है इसकी जानकारी अनेकों बार मांगी ? विभाग मे कोई ऐसा प्रावधान है क्या कि क्षेत्रीय कार्यालय मे कार्यरत कर्मचारी के प्रेषित प्रस्तावों की प्रोसेस मौखिक रूप मे होगी ? आपके जवाब मे केवल एक मेल दिनांक 13.07.2020 प्रस्तुत किया गया है ? जो प्रस्ताव की स्वीकृति होने से पूर्व का है जिसमे श्रीमति मीनू राजपूत का mutation जमा करने का निर्देश दिया गया है	
2	जिस दस्तावेज की कमी से HBA प्रस्ताव संदर्भ संख्या NR-III/AM/HBA/29263 Dt.29.06.2020 को स्वीकृत के उपरांत भी जारी नहीं किया गया उस दस्तावेज की सूचना आपने कब और किस माध्यम से मुझे दी थी ? कृपया प्रमाण सलग्न करे ?		आपके जवाब मे केवल एक मेल दिनांक 13.07.2020 प्रस्तुत किया गया है ? जो प्रस्ताव की स्वीकृति होने से पूर्व का है जिसमे श्रीमति मीनू राजपूत का mutation जमा करने का निर्देश दिया गया है **जिसमे स्योरटी बॉन्ड का तो कोई जिक्र नहीं है**	आपसे पूछा गया है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत किस दस्तावेज की कमी से आपने HBA तय समय मे जारी नहीं किया जबकि स्वीकृति तय अवधि से 15 दिन पहले दिनांक 06.08.2020 को मिल गई थी	इन 15 दिनों मे आपने मुझे कब उस दस्तावेज को जमा करने के लिए निर्देशित किया	जबकि प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत भी मैं लगातार मेल करके पूछता रहा कि मुझे और क्या जमा करना है जिससे मुझे HBA जारी किया जा सके ?
3	जब उक्त HBA प्रस्ताव को सभी अनिवार्य विभाग से स्वीकृत संदर्भ संख्या:-उ.क्षे.-iii/मा.सं./एच.बी.ए/11233/dt. 04.08.2020 के माध्यम से दिनांक 06.08.2020 तक प्राप्त हो गई थी	स्वीकृत प्राप्त होने के उपरांत किस दस्तावेज की कमी से आपने HBA,सेल अग्रीमन्ट की तय अवधि दिनांक 20.08.2020 तक जारी क्यों नहीं किया ?		आपके जवाब के अनुसार मुझे स्योरटी बॉन्ड की मूल प्रति ने जमा करने के कारण दिनांक 20.08.2020 तक एच बी ए निर्गत नहीं किया जा सका	महोदय आपके जवाब से स्पष्ट है कि प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने से पहले दिनांक 13.07.2020 को मुझे मीनू राजपूत का mutation जमा करने का निर्देश दिया गया है	**जिसमे स्योरटी बॉन्ड का तो कोई जिक्र नहीं है** फिर मुझे स्योरटी बॉन्ड जमा करने के लिए तय अवधि तक लिखित रूप मे सूचित क्यों नहीं किया गया ? अगर मौखिक रूप से ही इस प्रस्ताव का प्रोसेस हो रहा था तो मानव संसाधन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा स्वीकृति प्रदान होने से पहले दिनांक 13.07.2020 को मेल करके mutation जमा करने का निर्देश नहीं दिया जाता	और मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध मे अनेकों मेल न करता	अत: आपका मौखिक रूप मे सूचित करने की बात करना तर्कसंगत नहीं है	

धन्यवाद

भवदीय
04/12/2020
अशोक कुमार

पता:-फ्लैट A-33 फर्स्ट फ्लोर पार्श्वनाथ सिटी तिवारी गंज लखनऊ पिन-226028

Scanned by CamScanner